राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 2102 व 2103/2010.....जिला..... जयपुर.....

उनवान – वा.क.अ. वृत्त–अ, जयपुर बनाम् मैसर्स सिटीकॉर्प फॉयनेन्स (इण्डिया) लि. एम.आई. रोड, जयपुर ।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.05.2015	**एकलपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** अपीलार्थी की ओर से श्री आर.के.अजमेरा उप–राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा **सहायक आयुक्त, वृत्त–ए, जयपुर** की ओर से रजिस्ट्रार, कर बोर्ड, अजमेर को प्रेषित प्रार्थना पत्रों क्रमशः 1312 व 1313 दिनांक 31.03.2015 की ओर ध्यानकर्षित कर, कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा हस्तगत प्रकरणों में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ. 12(59)एफडी/टैक्स/2014–25 दिनांक 14.07.2014 की एमनेस्टी योजना–2015 का लाभ लेना चाहता है। इस क्रम में अपीलार्थी राजस्व प्रस्तुत अपीलों को "विद्ड्रा" करना चाहते हैं। अतः उक्त अपीलों को वापस (विद्ड्रा) लेने हेतु निवेदन किया गया है, इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं है। अतः रिकॉर्ड पत्रावलियों पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, जो इस पीठ के समक्ष विचाराधीन हैं में उल्लखित **अपील संख्या क्रमशः 2102 व 2103/2010/जयपुर** को वापस (विद्ड्रा) करने के कारण निष्प्रभावी घोषित की जाती है आदेश प्रसारित किया गया। 6.5.2015 (मदन लाल) सदस्य	